

राज्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोंडानीम जिला करौली

सु नं- 04/2023 . तारीखरतू- 23/6/23

सनवान- सूका बनाम रामजीलाल
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फरद अहकाम
23/6/23	वादी की ओर से श्री विष्णु कंटक एडवोकेट ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोंडानीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोंडानीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 24.07.2023 को पेश हो।

2382-85
23/6/23

(गौरव कुमार मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोंडानीम जिला करौली

24/2 प्रवादी पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं 1, 2 की ओर से श्री रामकुमार सिंह एडो ने ककास्कनना पेश किया। जो शामिल प्रवादी रहे। वास्ते प्रवाब डावा पेश करने दिनांक 23-8-23 को पेश हो।

3/8/23
वादी करौली, करौली जिला पदा अहकाम
सिटीकरण अहकाम (गौरव कुमार मिश्र)
पत्रावली पत्रावली दिनांक 19-3-23
को पेश हो।

3/8/23 अहकाम के काम
पत्रावली पत्रावली दिनांक 19-3-23 को पेश हो।
वादी करौली, करौली जिला पदा अहकाम
सिटीकरण अहकाम (गौरव कुमार मिश्र)
पत्रावली पत्रावली दिनांक 19-3-23 को पेश हो।

3/8/23
वादी करौली, करौली जिला पदा अहकाम
सिटीकरण अहकाम (गौरव कुमार मिश्र)
पत्रावली पत्रावली दिनांक 19-3-23 को पेश हो।

3/8/23
वादी करौली, करौली जिला पदा अहकाम
सिटीकरण अहकाम (गौरव कुमार मिश्र)
पत्रावली पत्रावली दिनांक 19-3-23 को पेश हो।



फर्द अहकाम

पत्तापत्री वाडी वकील सुप वाडी के प्रार्थना पत्र
 के आज तबष की गई। वाडी वकील सुप
 वाडी के इत वावर प्रार्थना पत्र भेजा गया
 की उक्त प्रकरण वाडी सुप पुलिसडीगण के
 मध्य शर्जीनामा भेज डे गया है। आवभेदी
 की कारीवारी नहीं चाहे है। इसलिये
 वाडी वकील के प्रार्थना पत्र का भवभोकन
 किया गया है। वाडी सुप पुलिसडीगण
 के मध्य शर्जीनामा डे गया है। उक्त
 प्रकरण दावा को नोटिस के वगैरे
 करवाना चाहे है। इसलिये वाडी के
 उक्त दावे को नोटिस के वगैरे
 किया जाता है। पत्तापत्री भेजा गया
 इसके तबष के कर्म कर डाले
 डाले है।

Not proper
 प्रार्थना
 प्रेमच नरसी
 सु काराम

(सुन्नीता पीना)
 5

(सुन्नीता पीना)
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
 टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिंधी